न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :— 55/2025 (प्रार्थनापत्र)
दायर दिनांक :— 30/06/2025
निर्णय दिनांक :— 28/01/2026

अनवान

1. अशोक कुमार कोठारी पिता फुलचन्द कोठारी जाति महाजन निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी 380/19/ए अशोक नगर, हैदराबाद आन्ध्रप्रदेश।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की राजस्व आराजियात ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ जिला राजमसन्द में स्थित है। जमाबन्दी सम्वत् 2076 के खाता नं0 654 के खसरा न० 1566 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा संख्या 1567 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1568 रकबा 0.1500 हैक्टर, खसरा संख्या 1569 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा संख्या 1649 रकबा 1.3300 हैक्टर, खसरा संख्या 1653 रकबा 0.7400 हैक्टर, खसरा संख्या 1654 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा संख्या 3365 रकबा 1.0800 हैक्टर कुल किता 8 रकबा 5.1300 हैक्टर भूमी में माफिक 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है प्रार्थी अपनी भूमि पर राजस्व रेकार्ड अनुसार अनवरत निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के माफिक हिस्से कब्जे कास्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी श्री स्वर्गीय श्री फुलचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल जाति महाजन कि सन्तान है एव स्वर्गीय श्री फुलचन्द्र जी का स्वर्गवास आज से करीब 45 वर्ष पुर्व हुआ। प्रार्थी स्थाई रूप से ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तह० देवगढ जिला राजमसन्द के निवासी है एव वर्तमान में व्यवसाय हेतु हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में व्यवसायरत है। प्रार्थी की आराजियात ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तह० देवगढ़ जिला राजमसन्द की पुर्व जमाबन्दी समयत् 2068—2071 के सासरा न० 1760 रकबा 5 बीघा, खसरा संख्या 903 रकबा 1.04 बीघा, खसरा संख्या 904 रकबा 4.13 बीघा, खसरा संख्या 905 रकबा 14 विस्वा, खसरा संख्या 906 रकबा 06 विस्वा, खसंरा संख्या 976 रकबा 6.03 बीघा, खसरा संख्या 980 रकबा 3.09 बीघा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

संख्या 981 रकबा 2.05 बीघा कुल किता 8 रकबा 23 बिधा 14 विस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड थी है उक्त भुमी स्वर्गीय श्री फुलचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल जी महाजन है एव उनके स्वर्गवास के बाद उक्त भुमी जरीये विरासत नामान्तरण सख्या 1099 को खुला एवं उक्त भुमी स्वर्गीय फुलचन्द महाजन के सन्तान नारमल, नवरतन, बाबुलाल, कमली बाई, मुली बाई पुत्रान श्री फुलचन्द के नाम दर्ज हो गई। उक्त नामान्तरण जो विरासत में खोला गया उस समय नामान्तरण में मुझ प्रार्थी का जो वास्तवीक नाम श्री अशोक कुमार कोठारी पिता श्री फुलचन्द कोठारी था उसके बजाय गलत रूप से खाते में बोलते नाम बाबुलाल पिता श्री फुलचन्द दर्ज कर दिया गया। नामान्तरण खोले जाते समय लिपिकिये एव ईन्द्राज कि त्रुटि से प्रार्थी का नाम श्री अशोक कुमार कोठारी पिता श्री फुलचन्द कोठारी के बजाय बाबुलाल पिता फुलचन्द दर्ज कर दिया गया। स्वर्गीय फुलचन्द पिता श्री लक्ष्मीलाल महाजन के वारीसान का वास्तवीक नाम श्री अशोक कुमार कोठारी पिता श्री फुलचन्द कोठारी, नवरतन पुत्र फुलचन्द, नारमल पिता फुलचन्द, कमली बाई पुत्री फुलचन्द एवं मुलीबाई पुत्री फुलचन्द है। बाबुलाल बोलता नाम था उक्त नाम गलत लिपिकिय रूप से अशोक कुमार कोठारी के बजाय राजस्व रेकार्ड के ईन्द्राज नामान्तरण एव अन्य खतौनी जमा बन्दी में दर्ज हो गये। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजी रेकार्ड जिनमें पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईवींग लाईसेन्स, एव पेन कार्ड आदी समस्त दस्तावेजो में नाम श्री अशोक कुमार कोठारी पिता श्री फुलचन्द कोठारी दर्ज है। नामान्तरण के समय जब राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किया गया तब गलत रूप से नाम बाबुलाल लिख दिया गया जब कि वास्तव में नाम श्री अशोक कुमार कोठारी पिता श्री फुलचन्द कोठारी है प्राथी का वास्तविक नाम जो दस्तावेजी रिकोर्ड में है जिससे राजस्व रिकोर्ड मे ईद्राज शुद्धी कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को वर्तमान में घर आने पर आवश्यक कार्य हेतु पटवार हल्का से नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से अंकित है। प्रार्थी अपने राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम बाबु लाल पिता फुलचन्द के बजाय प्रार्थी श्री अशोक कुमार कोठारी पिता श्री फुलचन्द कोठारी शब्द ईन्द्राज दुरस्ती से चाहता है अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की आराजियात ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ जिला राजमसन्द में स्थित है। जमाबन्दी सम्वत् 2076 के खाता नं0 654 के खसरा न० 1566 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा संख्या 1567 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1568 रकबा 0.1500 हैक्टर, खसरा संख्या 1569 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा संख्या 1649 रकबा 1.3300 हैक्टर, खसरा संख्या 1653 रकबा 0.7400 हैक्टर, खसरा संख्या 1654 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा संख्या 3365 रकबा 1.0800 हैक्टर कुल किता 8 रकबा 5.1300 हैक्टर भूमी में माफिक 1/3 हिस्सा होकर भुमि में दर्ज नाम बाबु लाल पिता फुलचन्द को दुरस्त किया जाकर श्री अशोक कुमार

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला-राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

कोठारी पिता श्री फुलचन्द कोठारी जरिये ईन्द्राज दुरस्ती के तहत साथ ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम लसानी खाता संख्या 654 में बाबुलाल पुत्र फुलचन्द का नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 में वर्णित तथ्य विपक्षी से संबंधित नहीं है प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का कॉलम संख्या 04 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र कॉलम संख्या 05 अन्य पहचान दस्तावेज न्यायालय में स्वयं पेश कर सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 6,7,8,9 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। ग्राम लसानी की वर्तमान जमाबन्दी खाता 654 में बाबुलाल पुत्र फुलचन्द का नाम दर्ज है प्रार्थी अपने दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर अपना नाम संशोधन करावे तो विपक्षी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड में भी अशोक कुमार कोठारी पिता फुलचन्द कोठारी दर्ज है जो कि सही है। भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रार्थी तथा श्री रणवीरसिंह पिता गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी लसानी एवं श्री पीरूलाल पिता सुरजमल जाति जीनगर निवासी लसानी के बयान गवाह प्रस्तुत किया।

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार जवाब की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ जिला

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

राजमसन्द के खाता संख्या 654 के खसरा न० 1566 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा संख्या 1567 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1568 रकबा 0.1500 हैक्टर, खसरा संख्या 1569 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा संख्या 1649 रकबा 1.3300 हैक्टर, खसरा संख्या 1653 रकबा 0.7400 हैक्टर, खसरा संख्या 1654 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा संख्या 3365 रकबा 1.0800 हैक्टर कुल किता 8 रकबा 5.1300 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम बाबु लाल के स्थान पर बाबु लाल उर्फ अशोक कुमार कोठारी पिता फुलचन्द कोठारी राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/1/2026

(मोहकमसिंह सिनसिनवार, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला-राजसमन्द (राज.)